



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237131
CG-DL-E-07072022-237131

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2930]
No. 2930]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3080(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 937 (अ) , दिनांक 02.03.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राजामहेन्द्रावरम से रम्पाचोदावरम राष्ट्रीय राजमार्ग 516इ के कि.मी. 16.000 से कि.मी.28.800 (के अलावा कि. मी. 18.400 से 20.000), तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11.03.2022 " को "द हिन्दू (इंग्लिश)" और "आंध्र ज्योति (तेलुगु)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राजामहेंद्रावरम से रम्पाचोदावरम राष्ट्रीय राजमार्ग 516इ के कि.मी. 16.000 से कि.मी.28.800 (के अलावा कि. मी. 18 .400 से 20 .000) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: ईस्ट गोदावरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गोकवराम				
	गांव का नाम: गोकावरम				
1	556 / 2A1	निजी	एग्रिकल्चर	0.0142	नालम सुब्बा राव (५५६ / २ ए १)
	तालुक का नाम: कोरुकोण्डा				
	गांव का नाम: बुरुगुपुडी				
1	633	निजी	एग्रिकल्चर	0.041779	वलेपल्ली दुर्गा राओ (६३३ / १ बी)
2	634	निजी	एग्रिकल्चर	0.068796	सुरिसेट्टी पोसिनायडु (६३४ / २)
	गांव का नाम: जम्बूपट्टनम				
3	451	सरकारी	कार्ट ट्रैक्	0.0144	गवर्नमेंट (४५१)
4	454 / 2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0136	वी . सूर्य प्रकाश (४५४ / २)
5	456 / 2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0434	सरस्वती देवी जैन (४५६ / २)
		कुल		0.196175	

[फा. सं. RW/NH-12014/68/2020-AP/Zone-III/3D]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

S.O. 3080(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 937(E) dated 02.03.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / two-lane etc.) maintenance, management and operation of National Highways No.516E (Rajamahendravaram to Rampachodavaram) from km 16.000 to km 28.800 (except km 18.400 to km 20.000) in the district of EAST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu (english)” and “Andra Jyothi (Telugu)” both dated 11.03.20022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of the land from km 16.000 to km 28.800 (except km 18.400 to 20.000) National Highway No. NH516E(Rajamahendravaram to Rampachodavaram) in the district of EAST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: EAST GODAVARI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gokavaram				
	Village: Gokavaram				
1	556 / 2A1	Private	Agriculture	0.0142	Nalam Subba Rao 556 / 2A1
	Taluk: Korukonda				
	Village: Burugupudi				
1	633	Private	Agriculture	0.041779	Vallepalli Durga rao 633 / 1 B

2	634	Private	Agriculture	0.068796	Surisetti Posinaidu 634 / 2
	Village: Jambupatnam				
3	451	Government	Cart Track	0.0144	Govenment 451
4	454 / 2	Private	Agriculture	0.0136	V. Surya Prakash 454 / 2
5	456 / 2	Private	Agriculture	0.0434	Saraswathi Devi Jain 456 / 2
			TOTAL	0.196175	

[F. No. RW/NH-12014/68/2020-AP/Zone-III/3D]

RAJESH GUPTA, Director